राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1049/2023

अशोक कुमार ठाकुर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बांसवाडा।
5. दिनेश चन्द्र EMP ID RJBN199103002731 पुत्र श्री नंदलाल जोशी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Nichla Ghantala, बांसवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.03.2023
आदेश की दिनांक : 07.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा डीपीसी वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का नाम चयन सूची में जोडा जावे। डीपीसी चयन वर्ष 2015–16 में भी अपीलार्थी का नाम उचित स्थान पर जोडा जावे और डीपीसी वर्ष 2015–16 में उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर विचार किया जावे तथा पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूतन, बांसवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक 21.02.2023 चयन सूची जो उप प्रधानाचार्य के पदोन्नति पद की प्रकाशित की गई है, को चुनौती दी गई है। उनका कथन है कि डीपीसी द्वारा 9998 अभ्यर्थियों को उप प्रधानाचार्य के

पद पर पदोन्नति हेतु चयन किया गया और सूचना दिनांक 27.02.2023 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। डीपीसी वर्ष 2015–16 में अपीलार्थी की वरिष्ठता का सही निर्धारण नहीं किया गया जबकि जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक थे, उन्हें वरिष्ठता में ऊपर रखा गया। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में आपत्ति दी कि उसकी संभाग स्तर पर वरिष्ठता 0132/04–05 एवं राज्य स्तर पर उसकी वरिष्ठता 632/04–05 है और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक हैं उसे डीपीसी वर्ष 2015–16 के विरूद्ध चयनित किया गया है। सूचना दिनांक 30.11.2015 द्वारा दिनांक 23.11.2015 को रिव्यू डीपीसी व्याख्याता पद के लिये आयोजित की गई और जिसमें चयनित सूची में श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री नन्दलाल जोशी का नाम वर्ष 2015–16 में दर्शाया गया, परंतु अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने आपत्ति दर्ज की। आदेश दिनांक 28.08.2015 जिसके द्वारा अपीलार्थी की योग्यता दर्ज की गई और उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर दर्शाया गया और उसकी योग्यता एम.ए. हिन्दी वर्ष 1999 दर्शायी गई और उसी आदेश में श्री दिनेश चन्द्र का नाम क्रम संख्या 31 पर दर्शाया गया और इस प्रकार वह अपीलार्थी से कनिष्ठ है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु आज दिनांक तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी के अध्यापक के पद पर दिनांक 26.11.1986 को नियुक्ति हुई थी और 2 वर्ष बाद उसे स्थायी किया गया तथा दिनांक 20.02.2005 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर एवं दिनांक 17.07.2016 को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही न होने के कारण अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस प्रस्तुत कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा डीपीसी वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का नाम चयन सूची में जोडा जावे। डीपीसी चयन वर्ष 2015–16 में भी अपीलार्थी का नाम उचित स्थान पर जोडा जावे और डीपीसी वर्ष 2015–16 में उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर विचार किया जावे तथा पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का नाम वर्ष 2004–05 हेतु राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 632 पर दर्ज है और वरिष्ठता सूची में

एम.ए. हिन्दी योग्यता का इंद्राज विभाग आदेश दिनांक 25.11.2015 के द्वारा किया गया है तथा नियमानुसार अपीलार्थी का चयन वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया है। वर्ष 2015–16 की डीपीसी बैठक के समय अपीलार्थी की योग्यता वरिष्ठता सूची में दर्ज नहीं थी, जिसके अभाव में अपीलार्थी का डीपीसी चयन वर्ष 2015–16 में वह चयन का पात्र भी नहीं था और डीपीसी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित किया गया। उक्त चयन के आधार पर वर्ष 2016–17 से ही व्याख्याता पद की वरिष्ठता प्राप्त करने का हकदार है। श्री दिनेश चन्द्र की वर्ष 2008–09 की अवधि हेतु जारी द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में स्नात्कोत्तर हिंदी की योग्यता दर्ज होने के कारण रिव्यू डीपीसी में प्राध्यापक हिंदी चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया है जबकि अपीलार्थी का वर्ष 2004–05 हेतु निर्मित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 632 पर नाम अंकित है तथा उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की एम.ए. हिंदी की योग्यता का इंद्राज विभागीय आदेश दिनांक 20.11.2015 के द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर प्राध्यापक हिंदी के पद पर चयन वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार किया गया है। उप प्राचार्य पद की वर्ष 2022–23 की डीपीसी में सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी का वरिष्ठता क्रमांक 1157 (2016–17) है जबकि अपीलार्थी का नाम का अंकन व्याख्याता की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 1708 (2016–17) है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त पद के योग्य नहीं पाया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी ने एम.ए. हिंदी योग्यता वर्ष 1999 में अर्जित की जबकि दिनांक 20.11.2015 को इंद्राज की गई। इसके बावजूद भी रिव्यू डीपीसी में अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 03.08.2015 के द्वारा नीला गुप्ता की योग्यता सेवाभिलेख में इंद्राज की गई और उनकी वरिष्ठता क्रमांक 206/08–09 दर्शायी गई जबकि उन्होने एम.ए. योग्यता वर्ष 1996 में पूर्ण की। इसी तरह श्री भूपेश जिनकी वरिष्ठता 371/08–09 दर्शायी गई और उन्होंने एम.ए. हिंदी योग्यता वर्ष 2000 में पूर्ण की और इस प्रकार आदेश दिनांक 28.08.2015 के द्वारा अपीलार्थी की एम.ए. हिंदी योग्यता सेवाभिलेख में इंद्राज की गई और वह वरिष्ठता 132/04–05 रखता है और इस प्रकार अपीलार्थी वरिष्ठ कार्मिक है, परंतु आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा उक्त कार्मिकों को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई और उनके नामों को योग्यता सूची में जोडा गया। सूचना दिनांक 05.03.2025 के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग रिक्ति वर्ष

2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य की डीपीसी आयोजित करने जा रहा है, जिसमें अपीलार्थी को पदोन्नत किया जाना चाहिये चूंकि अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। परंतु अपीलार्थी को न तो पदोन्नति का लाभ दिया गया और न ही उसकी योग्यता का उचित संधारण किया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूतन, बांसवाडा में कार्यरत है। डीपीसी वर्ष 2015–16 में अपीलार्थी की वरिष्ठता का सही निर्धारण नहीं किया गया और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक हैं उन्हें डीपीसी वर्ष 2015–16 के विरूद्ध चयनित किया गया है, परंतु अपीलार्थी को वंचित रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी का नाम वर्ष 2004–05 हेतु राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 632 पर दर्ज है और वरिष्ठता सूची में एम.ए. हिन्दी योग्यता का इंद्राज विभाग आदेश दिनांक 25.11.2015 के द्वारा किया गया है तथा नियमानुसार अपीलार्थी का चयन वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया है। वर्ष 2015–16 की डीपीसी बैठक के समय अपीलार्थी की योग्यता वरिष्ठता सूची में दर्ज नहीं थी, जिसके अभाव में अपीलार्थी का डीपीसी चयन वर्ष 2015–16 में वह चयन का पात्र भी नहीं था और डीपीसी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित किया गया। उक्त चयन के आधार पर वर्ष 2016–17 से ही व्याख्याता पद की वरिष्ठता प्राप्त करने का हकदार है। श्री दिनेश चन्द्र की वर्ष 2008–09 की अवधि हेतु जारी द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में स्नात्कोत्तर हिंदी की योग्यता दर्ज होने के कारण रिव्यू डीपीसी में प्राध्यापक हिंदी चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया है जबकि अपीलार्थी का वर्ष 2004–05 हेतु निर्मित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 632 पर नाम अंकित है तथा उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की एम.ए. हिंदी की योग्यता का इंद्राज विभागीय आदेश दिनांक 20.11.2015 के द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर प्राध्यापक हिंदी के पद पर चयन वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार किया गया है। इस

प्रकार हमें अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य